अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला..... सं0..... सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

19.07.2013

21/8/213

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 219/2013

बिन्देश्वरी राम एवं अन्य —— अपीलार्थीगण

वनाम

जमील अनवर एवं अन्य —— प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण बिन्देश्वरी राम पिता स्व0 छुतहरू राम , अनिल कुमार यादव पिता स्व जय नारायण यादव (गोप) एवं दरपी यादव पिता स्व0 बोकाय यादव सभी ग्राम राघोपुर , टोला –गढ़ी थाना एवं अंचल– राघोपुर, जिला – सुपौल द्वारा प्रत्यर्थीगण मो0 जीमल अनवर पिता स्व0 इलियास मियॉ , नैयर खॉ पिता स्व0 अब्दुल रहीम खॉ , मो0 मिराज पिता मो0 मजलूम, मो0 आलम पिता स्व0 लाल हाजी एवं हफीजुल रहमान पिता स्व0 मजीद के विरूद्ध अनुसूची 01 के अंश रकबा 4–10–2 धुर खाता 155 खेसरा 2061 के संबंध में गैरमजरूआ आम एवं खास खाते की जमीन को बाजबरदस्ती गलत तरीके से कब्रिस्तान होने के दावा के विरूद्ध निम्नन्यायालय में बी एल0डी0आर0 वाद संख्या 86/11 दायर किया गया था। उक्त न्यायालय में वाद खारीज किये जाने की स्थिति में इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया है।

वादी/ अपीलार्थीगण का कथन है कि उक्त भूमि पर पूर्व में वादी/ अपीलार्थी पक्ष एवं प्रतिवादी/प्रत्यर्थीपक्ष के बीच धारा 144 द0 प्र0 सं0 में निर्णय प्रतिवादी/प्रत्यर्थी गण के पक्ष में पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी/ अपीलार्थी पक्ष की ओर से मधेपुरा मुंसिफ के न्यायालय में अधिकार वाद संख्या 153/1958 दायर किया गया जिससे अंतिम निर्णय दिनांक 02.09.1959 को आवेदकगण के पक्ष में डिकी हुआ और न्यायालय द्वारा यह घोषणा किया गया कि उक्त जमीन गैरमजरूआ आम है तथा इसका व्यवहार कभी भी कब्रिस्तान के रूप में नहीं हुआ है। इस जमीन को अलग से अनुसूची 02 में दर्शाया गया है। खाता 154 खेसरा 2060 रकबा 2–0–18 धुर पुराना सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है। खाता 155 खेसरा 2061 रकबा 4–10–2 धुर के अभियुक्त कॉलम में पोखर तामीर कर दे केसर हिन्द वहादुर दर्ज है। खाता 213 खेसरा 3081 पुराना सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास दर्शाया गया है। खाता 214 खेसरा 3080 /3465 रकबा 0–15–12 पुराने सर्वे खतियान में गैर मजरूआ आम दर्शाया गया है इन सभी जमीन को वाद भूमि करार दिया गया है। अनुसूची 01 की गैर मजरूआ आम वो खास खाते की जमीन को बाजबरदस्ती गलत तरीके

से कब्रिस्तान होने की दावा बहुत दिनों से करते आ रहे है तथा वर्ष 1955–56 से प्रतिवादीगण पूर्वजों द्वारा कब्रिस्तान घोषित करने हेतु मोकदमाबाजी कर सरजमीन पर कब्रिस्तान में तब्दील करने का असफल प्रयास किया जाता रहा है।

वादी/अपीलार्थीगण का यह भी कथन है कि मुंसिफ मधेपुरा के निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी/प्रथ्यर्थीगण के पूर्वजों के द्वारा कोई भी अपील या रिभीजन दायर नहीं किया गया। इसलिए उक्त आदेश अंतिम आदेश हो गया।

निम्नन्यायालय में प्रतिवादीपक्ष के ओर से कहा गया है कि वादी को मोकदमा दायर करने का अधिकार नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी के बीच धारा 144 द0प्र0सं0 की कार्यवाही चलने की वातों का उल्लेख किया गया है गलत है।खाता 155 खेसरा 2061 पर कोई कार्यवाही नहीं चली थी। अधिकार वाद संख्या 153/58 के संदर्भ में कहना है कि उस वक्त आवेदक संख्या 2,3 का जन्म भी नहीं हुआ था। आवेदक 01 का उम्र करीब 10 वर्ष का रहा होगा । प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का जन्म भी 1958 में नहीं हुआ था। वादी एवं प्रतिवादी के बीच अधिकार वाद चलने की बात स्वतः गलत हो जाता है। प्रतिवादी गण द्वारा यह भी कहा गया है कि मुंसिफ मधेपुरा का आदेश से संबंधित पक्षकार पर प्रभावी माना जा सकता है न कि उक्त पुरे मौजा पर । 100 वर्षो से कब्रिस्तान है। अधिकार वाद संख्या 153/58 का आदेश कभी व्यवहार में नहीं आया।

निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि कब्रिस्तान के नाम से जमाबंदी नं0 437 कायम है जिसके विरूद्ध कोई अपील नहीं किया गया है। पूर्व में प्रश्नगत अंश रकबा 4–10–2 धुर को लेकर अधिकार वाद संख्या 153/58 चला था। इससे स्पष्ट है कि हकियत का जटिल प्रश्न अन्तर्गतस्त था। उक्त वाद में किसी प्रकार का आदेश दिया गया तो लागू भी संबंधित व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि वादी पक्ष हिन्दुओं के किसी संस्था से संबंधित है और न तो प्रतिवादी द्वारा भी इस संबंध में ऐसा कोई कागजात दाखिल किया है जिससे स्पष्ट हो सके कि प्रतिवादीगण किसी मुस्लिम संस्था से संबंधित है। कब्रिस्तान जैसे संबंदनशील मामला को लेकर वाद दाखिल किया गया है। इसका निबटारा संक्षिप्त विचारण के द्वारा संभव नहीं जान पड़ता है। अतएव ऐसी परिस्थिति में वाद को खारिज किया जाता है। प्रथम पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय के शरण में जा सकते हैं।

वादी/अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता का सुना एवं निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन/तथ्यों के विवेचन से यह पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(पंकज कुमार)
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशेधित